Therfore, to have committees at various levels, that is, at 3,405 levels to look after these depots will be totally out of question. I do not think it is necessary.

SHRI YERRA NARAYANASWAMY: Sir, I came to know from newspapers, that there are 12,000 Officers' posts, which are lying vacant in the Armed Forces. I would like to know whether the Government is going to undertake any special drive or any special steps...

MR. CHAIRMAN: This question is not related to the main question.

SHRI YERRA NARAYANASWAMY: It is a general question, Sir.

MR. CHAIRMAN: It is a question related to CSD only, not to the Armed Forces in general.

SHRI JAYANT KUMAR MALHOUTRA: Sir, the Government of India has reserved certain products for the small-scale sector, but the procurement policy of the C.S.D. is in violation of the protection given to the small-scale sector. The Department is purchasing all these products from multi-national companies and is giving preference to these companies. I would like to know whether the Canteen Stores Department is not bound by the restrictions imposed on the purchase of such goods manufactured by multi-national companies, that they should purchase them only from the small-scale sector.

SHRI GEORGE FERNANDES: Sir, I am not aware of any restrictions on any goods. I cannot agree with the hon. Member that the Canteen Stores Department buys all its items from the multi-national companies. Whatever items are needed, they are bought from whatever sources they are available. They have been supplying these over a period of time. If the hon. Member has got any specific complaint to make, I am prepared to look into that.

SHRI JAYANT KUMAR MALHOUTRTA: Sir, I have written many times that the products which are reserved for the small-scale sector are being procured from the multi-nationals and then distributed. The contention is that the Canteens are going to sell products which have a market. There are a lot of smuggled foreign goods which are preferred. Is it the intention of the Canteen also to sell these goods through the Canteen services?

SHRI GEORGE FERNANDES: Sir, I have not seen the hon. Member's letter. I would certainly look into that letter now that he says there are a number of letters. But, I can assure him that marketing smuggled goods is not the job which we should expect the Army canteens to do.

SHRI M. SANKARALINGAM: Sir, considering the huge number of retired officers, who get goods from the C.D.S. Air Force counters, I would like to know whether the Government has any view to increase the number of counters. I have often received complaints from soldiers that they are not able to get cornflakes refined groundnut oil and other valuable items. They are available only in the Officers' counter and not in the soldiers' counter. If such things happen, would there be any plan to rectify these defects?

SHRI GEORGE FERNANDES: Sir, there is no discrimination whatsoever in so far as availability of any item is concerned. All items are available for everyone who is entitled to buy from those stores.

नक्सलवाद की समस्या से निपटना

*502. श्री जनेश्वर मिश्र: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने नक्सलवाद से प्रभावित राज्यों में नक्सलवाद की समस्या से निपटने हेतु कोई रणनीति बनायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि अपराध के अलावा नक्सलवादी आन्दोलन में सामाजिक और आर्थिक आधार भी काफी मायने रखते हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस रणनीति में नक्सलवादी आन्दोलन के सामाजिक और आर्थिक आधार को समाप्त करने हेतु कौन-कौन से प्रावधान किए गए हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) से (घ) तक एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख) केन्द्रीय गृह मंत्री ने दिनांक 15.6.1998 को आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा के मुख्य मंत्रियों की एक बैठक, इन राज्यों द्वारा वामपंथी उग्रवादियों की गतिविधियों की रोकथाम करने के लिए की गई कार्रवाई की पुनरीक्षा करने के लिए हैदराबाद में आयोजित की। इस बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए गए:—

(i) संबंधित राज्य सरकारें मौजूदा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जैसे कानूनों को लागू करती रहेंगी। इसके साथ-साथ, वामपंथी उग्रवाद की समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकारें एक अलग कानून बनाने की जांच भी कर सकती हैं,

(ii) सुरक्षा उपायों के साथ-साथ विकास की गतिविधियों को शामिल करके राज्य सरकारों को एक व्यापक कार्य योजना तैयार करनी पड़ेगी। आंध्र प्रदेश सरकार ने एक ऐसी ही कार्य-योजना पहले ही तैयार की है जिसे योजना आयोग को भेज दिया गया है। अन्य राज्यों को भी ऐसी ही कार्य-योजनाएं तैयार करनी चाहिए जिन्हें धन-आबंटन हेतु योजना आयोग के साथ उठाया जाएगा।

(iii) कार्य-योजना की प्रगति की समीक्षा करने और राज्य सरकारों के प्रयासों को समन्वित करने के लिए हैदराबाद में एक समन्वय केन्द्र स्थापित किया जाएगा। केन्द्रीय गृह सचिव इस समिति के अध्यक्ष होंगे तथा चार राज्यों के मुख्य सचिव और पुलिस महा-निदेशक इसके सदस्य होंगे।

गृह मंत्रालय ने 26.6.1998 को एक समन्वय केन्द्र स्थापित किया है। राज्य सरकारों से इस बैठक में लिए गए निर्णयों पर तुरन्त कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। राज्य सरकारों द्वारा की गई कार्रवाई की समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय गृह मंत्री द्वारा बुलाई गयी बैठक में यह निर्णय लिया गया कि वामपंथी उग्रवाद की समस्या को केवल कानून और व्यवस्था का ही मामला नहीं माना जा सकता है। कानून लागू करने के लिए सख्त कदम उठाने और पुलिस बल के आधुनिकीकरण के साथ-साथ प्रभावित क्षेत्रों के लिए विशेष विकास प्रोत्साहन होने चाहिए। राज्य सरकारों से उपयुक्त कार्रवाई योजना तैयार करने का अनुरोध किया गया है, जिसमें अन्तर्-राज्जीय सड़क सम्पर्क, संचार सुविधाओं, इत्यादि के संबंध में उनकी संरचनात्मक विकास आवश्यकताएं और प्रभावित क्षेत्रों में रह रहे लोगों के सामाजिक-आर्थिक स्थिति को सुधारने के उपायों के विशिष्ट घटक शामिल होंगे। आन्ध्र-प्रदेश सरकार ने इस संदर्भ में एक विस्तृत कार्य-योजना तैयार की है, जिसे योजना आयोग को भेजा गया है। अन्य राज्य सरकारों को भी इसी प्रकार की योजना तैयार करनी चाहिए जिसे धन आवंटन के लिए योजना आयोग के साथ उठाया जाएगा।

श्री जनेश्वर मिश्र: सभापति जी, माननीय गृह मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, उसमे वामपंथी उग्रवाद शब्द का इस्तेमाल किया गया है। वैसे वामपंथ अपने आपमें एक उग्रवाद है, व्यवस्था के खिलाफ है, लेकिन वामपंथी उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए गृह मंत्रालय ने केवल पुलिसिया दृष्टिकोण अपनाया है। मैं समझता हूं कि दर्द कुछ और है। नम्बर एक तो महाराष्ट्र से लेकर आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश तक और बिहार तक, जहां-जहां नक्सलवाद बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा, वे सभी के सभी आदिवासी इलाके हैं। आदिवासियों के बीच में नक्सलवाद बढ़ने का एक कारण यह है कि वहां के जंगल की जमीन से, उसकी पैदावार से, उसके पानी से, सबसे आदिवासी बेदखल हो गए 50 साल के दौरान, विकास के दौर में तो मैं जानना चाहता हूं कि जो आदिवासी बेदखल हुए, उनमें से कितने प्रतिशत आदिवासियों को बसाने के लिए राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार ने कोई इंतजाम किया है और जो कार्य योजना केन्द्र सरकार राज्य सरकारों से मिलकर बना रही है, उन आदिवासियों के बीच में जहां नक्सलवाद पनप रहा है, उसमें क्या उन आदिवासियों को उनकी जमीन, उनकी पैदावार और उनके जल संसाधन वापिस करने की भी कोई विचारधारा है?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: सभापति महोदय, मैं सम्माननीय सदस्य से सहमत हूं कि इस हिंसा की जड़ में अनेक कारण हैं और उसको केवल कानून और व्यवस्था की समस्या समझकर अगर डील करेंगे तो वह उचित नहीं होगा। आन्ध्र प्रदेश में यह केवल आदिवासी क्षेत्रों

में नहीं है, और भी क्षेत्रों में है और जहां-जहां पर आदिवासी षेत्रों में है जैसे मध्य प्रदेश है या जैसे महाराष्ट्र है, वहां पर निश्चित रूप से आदिवासियों की समस्या, उनके जंगलात के अधिकार, उन सबकी ओर वहां की राज्य सरकारें ध्यान दे रही हैं और राज्य सरकारें और केन्द्र सरकार दोनों मिलकर जिसको वामपंथी उग्रवाद साधारण भाषा में कहा जाता है, उस समस्या को टैकल करने के लिए प्रयत्न कर रही है। इसके साथ-साथ यह बात भी सही नहीं है कि कोई यह कहे कि यह तो केवल एक राजनीतिक समस्या मात्र है, इसमें कोई और पहलू नहीं है। हमें दोनों चीजें साथ-साथ लानी होंगी—विकास का कार्य भी करना होगा और कमजोर और पिछड़े हुए वर्गों के जो अधिकार है, उनका भी संरक्षण करना होगा। चूंकि हम लोकतंत्र में हैं, इसलिए हर समस्या का हल लोकतंत्रीय मार्ग से होना चाहिए। लोकतंत्रीय मार्ग से हल नहीं होगा, हिंसा से होगा, इस प्रकार की प्रवृत्ति अच्छी नहीं है।

श्री जनेश्वर मिश्र: सभापति महोदय, हमने जो सवाल पूछा उसका जवाब नहीं आया। हमने यह पूछा था कि जंगल से जो आदिवासी उजाड़े गए हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर असंतोष फैला और नक्सलवाद ने उसका फायदा उठाया, उनमें से कितने प्रतिशत की बसावट का इंतजाम राज्य सरकारों ने और केन्द्र सरकार ने किया है। एक सवाल तो यह था। यह मूल प्रश्न था मेरा। दूसरा सवाल यह था कि क्या जंगल की जो जमीन उनके कब्जे से बाहर चली गई, जिससे उनके मन में गुस्सा है और दूसरे लोग भड़का रहे हैं, क्या उसे वापस दिलाने के लिए भी कोई कार्य योजना है? ये दो सवाल मैंने पूछे थे, जिनका जवाब नहीं आया है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मैंने दोनों प्रश्नों के बारे में कहा कि राज्य सरकारें उस दिशा में सजग हैं और कार्य कर रही है। अगर स्पैसिफिक कोई सवाल होगा तो मै उसका जवाब दे दुंगा।

श्री जनेश्वर मिश्र: इनकी बसावट के लिए क्या इंतजाम किया है?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: इसके लिए आपको अलग से नोटिस देना चाहिए।

श्री जनेश्वर मिश्र: सभापति महोदय, गृह मंत्री जी ने खुद कबूल किया है कि केवल आदिवासी इलाके में ही ये उग्रवाद नहीं फैला है बल्कि और इलाकों में भी फैला है, जहां आदिवासी नहीं रहते, खासतौर से बिहार और बंगाल में और यह बढ़ता जा रहा है और उत्तर प्रदेश की तरफ आ रहा है। इसकी पृष्ठभूमि में क्या गृह मंत्रालय को यह जानकारी है कि देश में जो भूमि का बंटवारा हुआ, वह बहुत असफल हुआ है, नाकामयाब हुआ है। यानी खुद सरकार की रिपोर्ट यही है और 1978—83 की पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में माना गया है कि ग्रामीण संपत्ति के वितरण पर भूमि-सुधार का कोई असर दृष्टिगोचर नहीं होता। रिजर्व बैंक के मुताबिक 25 सैकड़ा निर्धनतम गरीब परिवारों के पास कुल ग्रामीण संपत्ति का मात्र 1.3 परसेंट है। इसी तरह 1981 की जनगणना के अनुसार 2.4 परसेंट सर्वाधिक अमीर ग्रामीण घरानों के पास कृषि योग्य कुल भूमि का 22.8 परसेंट है और सर्वाधिक गरीब 74.5 परसेंट घरानों के पास कुल जमीन का 26.3 प्रतिशत है। यह सरकार की रिपोर्ट है, हमारी तरफ से नहीं है।

महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों से बात करके भूमि का जो असमतल बंटवारा हुआ है, इसके बारे में कोई कार्य योजना बनाएगी? कार्य योजना की कई कमेटियां बन गई। एक के अध्यक्ष गृह सचिव हैं, एक और की अध्यक्षता गृह मंत्री करते हैं। क्या केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों से सलाह करके कोई कार्य योजना बनाएगी? सरकार ने जो जवाब दिया है वह यह है कि — "आदिवासियों के विकास के लिए जो भी पिछड़े इलाके हैं वहां सड़क और संचार ..."। इलाज सड़क और संचार नहीं है। यह तो ऊपरी इलाज है। असली इलाज तो जमीन का बराबर ढंग से बंटवारा है। क्या इसके बारे में सरकार कोई दृष्टिकोण अपनाएगी कि सभी लोगों को और खासतौर से जो जमीन से बिल्कुल वंचित हैं, ऐसे लोगों को जमीन दिलाने के लिए बड़ें-बड़े भू-स्वामियों से जमीन लेकर सरकार कोई रास्ता निकाले?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: लैंड रिफॉर्म्स का अभाव कुछ प्रदेशों में इस समस्या की जड़ में रहा है और इसमें कोई संदेह नहीं कि उनमें से एक प्रदेश बिहार है। बिहार में जहां यह एक समस्या है, वहां जातिवाद दूसरी समस्या है और इन दोनों ने मिल कर इस समस्या को और उग्र और जटिल बना दिया है। सब लोग जानते हैं कि यहां पर जहां लेफ्टिस्ट एक्सट्रीमिज्म है वहां पर कई प्रकार की भूस्वामियों ने सेनाएं बना रखी है और उनका आपस का संघर्ष इसको और रक्त-रंजित कर देता है। इन सब बातों से केन्द्र सरकार परिचित है और केन्द्र सरकार पूरा प्रयत्न करती है कि राज्य सरकारों से मिल कर इस को हल किया जाए। पिछले दिनों में, जिस समिति का आपने उल्लेख किया। उस समिति ने बिहार

को अपने संदर्भ में नहीं लिया है, उसमें चार अन्य प्रदेश हैं जो आंध्र से सटे हुए हैं और जिनका केन्द्र हमने, एक प्रकार से हमने एक समन्वय समिति हैदराबाद में स्थित की है जिसके अध्यक्ष गृह सचिव हैं। जहां तक बिहार का सवाल है, बिहार की समस्या उग्रवाद की है, हिंसा की है लेकिन कुछ हट कर है और उसकी ओर अलग ध्यान दिया जा रहा है। मैं इस बात का ज़िक्र इसलिए भी करना चाहूंगा क्योंकि इस प्रकार के दो सम्मेलन, पहला सम्मेलन मेरे पूर्व पदाधिकारी श्री इंद्रजीत गुप्त ने किया था, उसमें भी चार प्रदेशों को ही लिया था— आंध्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। उसकी बैठक पिछले दिसम्बर में हुई थी और अभी जून में उसी के कंटीन्यूएशन में यह दूसरी बैठक हुई है। बिहार के संदर्भ में हम अलग से चिंता करेंगे।

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, I want to know whether the Government of India is aware that the CPM-L, Marxist-Leninist Party, the PWG of Andhra Pradesh, have openly declared that they believe that power comes out of the barrel of the gun. That is their professed policy. Is the Government aware of it?

Secondly, during the meeting of the Chief Ministers or the Ministers of the four States, what were the suggestions or requests made by those four Governments and what is the response of the Government of India to them? Time and again, we were informed by the respective State Governments, that the Governments were asking for additional force and sophisticated weapons to combat the Naxalite violence. You are aware, as the hon. Member was saying, it has spread across the State irrespective of whether it is a plain area or a tribal area. Extremist violence is there in almost every district in Andhra pradesh and also in the adjacent parts of Maharashtra. People belonging to various faiths of ideology, the BJP, the CPI, the CPM, the Congress, all of them, are targeted and they are eliminated one after another. So, what is the response of the Government of India to the requests and suggestions made by those State Governments with regard to additional forces supply of sophisticated arms and allocation of extra funds?

SHRI L.K. ADVANI: The Government is fully aware of the declarations being made about power flowing from the barrel of the gun. We think that this approach is subversive of democratic politics. We are committed to the Constitution of this country. It is, therefore, as I said in the beginning, while it would be wrong to regard this problem as purely a law and order problem, on the other hand, it would be equally wrong to say that it is purely a developmental problem or purely a political problem and therefore, security efforts at curbing violence with a firm hand should have no place. We have to have a combination of both the approaches. I can only say that in the discussions we had in Hyderabad at the level of Cheif Ministers and in the Committee that has been constituted, the Coordination Committee headed by the Home Secretary, very useful decisions have been taken as to how to upgrade the whole system. Only recently, three days back, a meeting was held in which it was decided that a networking plan be prepared for effective exchange of information among the four States. A proposal has also been prepared to share expenditure with the States on a 50:50 basis for technological upgradation of the police force because we have seen that in very many places, the militants and even the Naxalites have sophisticated weapons procured from somewhere whereas the police is not properly equipped. Also, Andhra Pradesh and Maharashtra have decided to set up training centres for equipping their forces to deal specifically with the extremists ... and the Central Government would provide all necessary assistance.

SHRI J. CHITHARANJAN: Sir, the hon. Minister has admitted that the developmental activities in the areas should also be taken up. That is one of the main components of the whole scheme. But as far as I know, the

respective States have not yet taken sufficient measures in that direction. It is very clear from the reply given by the Minister. It has been stated in the reply and I quote: "A comprehensive Plan of Action encompassing developmental activities as well as stepped up security measures will have to be prepared by the States." It has also been stated there that only one State, that is, Andhra Pradesh, has already prepared such a Plan and has submitted the same to the Planning Commission and the Planning Commission has not yet given approval. Therefore, that Plan itself has not come into effect. as far as other states are concerned, they have still to prepare a Plan. Therefore, what I would like to know from the hon. Minister is, whether the Government will take measures to persuade the State Governments which have not submitted the Plan, submit the Plan without delay, and also see to it that the Planning Commission gives its sanction for those schemes and effective steps are taken to implement those schemes.

SHRI L.K. ADVANI: Sir, the Home Ministry is fully conscious of this issue and it would be our endeavour to see on the one hand that the States also submit their Plans to the Planning Commission Andhra Pradesh has done and on the other hand, also to see that the Planning Commission, within the ambit of its resources, extends all necessary help because these Plans are comprehensive Plans. They are related both to developmental issues as well as to security issues.

श्री मोहम्मद सलीम: सर, मंत्री महोदय ने मूल प्रश्न के जवाब में कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं है। सोशल इकनॉमिक डैवलपमेंट के सवाल को भी जोड़ना पड़ेगा। जो डिटेल्स उन्होंने एक, दो तीन, चार करके दिये हैं, उसमें उनका फोकस क्या है, यह पता चलता है। सप्लीमेंटरी के जवाब में भी उन्होंने यह कहा कि ज्यादा सफैस्टिकेटिड वैपन्स, कम्युनिकेशन लिंक्स, माड्रानाइजेशन ऑफ दी पुलिस फोर्स — इससे जो चिंता है, जो भावना है उसका पता चलता है। यह आपके लिए नया नहीं है। इस सदन में इससे पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं। पिछली सरकार जब आयी थी, उसने भी इसी तरह का ऐक्शन प्लान बनाकर दिल्ली सरकार की होम मिनिस्टरी को दिया था कि सफैस्टिकेटिड वैपन्स चाहिए, अच्छी जीप चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए। लेकिन अगर आप रूट में नहीं जाएंगे तो इससे सवाल निपटने वाला नहीं है। मेरा सवाल है कि क्या आपने पश्चिम बंगाल में— जैसे कई दूसरे मामलों में पश्चिम बंगाल की तरफ अपना ध्यान डालते हैं तो नक्सलवाद की जहां से शुरूआत हुई, नक्सलवाद नाम आया है, नक्सल मूवमेंट का नाम आया है नक्सलवाद से, बंगाल से, वह अफैक्टिड एरिया था। लेकिन वहां इस मामले को निपटाकर महाराष्ट्र तक — पूर्व से पश्चिम तक यह मामला चला जा रहा है और आप राज्य सरकारों को लेकर ऐक्शन प्लान बना रहे हैं। तो क्या आप यह ध्यान नहीं दे सकते हैं कि किस तरह से इस तरह के मामले को निपटाया जा सकता है जो रूट कॉज़ है? लैंड रिफॉर्म्स का मामला है— पूरे दो पेज के आंसर में लैंड रिफॉर्म्स का मामला नहीं आया है— डैवलपमेंट का बोलते हैं, सोशियो-इकनॉमिक बोलते हैं, हमारी गवर्नमेंट प्रतिबद्ध है। कानून बनाए हैं लागू नहीं करते हैं। जब कोई कानून बनता है, लागू नहीं होता है चाहे वह नक्सलवाद के नाम पर आए, चाहे दूसरे उग्रवाद के नाम पर आए - जब लोकतंत्र से आस्था उठ जाती है तभी एक नौजवान दूसरे रास्ते पर जाता है। अगर पश्चिम बंगाल में लैंड रिफार्म्स करके पंचायती राज को जड़ से पकड़कर, उसके बाद सोशियो-इकनॉमिक डैवलपमेंट जो बताया है - जल, जंगल और जमीन - जिसमें जनता के बुनियादी हक हैं, पिछड़े हुए लोगों के, गरीब लोगों के हक हैं, उनसे अगर आप उन्हें महरूम करेंगे तो जाहिर बात है कि वह किसी न किसी उग्रवाद के रास्ते पर जाएंगे। लैंड रिफॉर्म्स के बारे में आपकी सरकार का क्या ध्यान है? यह बुनियादी सवाल है। आप स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ऐक्शन प्लान बनाने के लिए बोल रहे हैं उसी तरह से क्या लैंड रिफॉर्म्स को लागू करने के लिए कोई टाइम फ्रेम देकर इस बात पर जोर डालेंगे या नहीं?

†[ ]شری محمد سلیم: سر، منتری مہودے
نے سول پرشن کے جواب میں کہا ہے
کہ لاء اینڈ آرڈر کی پرابلم نہیں ہے سوشل

†[ ]Transilteration in Arabic Script

ایکشن پلان بنا رہے ہیں، تو کیا آپ یہ دھیان نہیں دے سکتے ہیں کہ کس طرح کے معاملہ کو نپٹایا جا سکتا ہے، جو ووٹ کماز ہیں؟ لینڈ ریفارمس کا معاملہ ہے پورے دو پیج کے آنسر میں لینڈ ریفارمس کا معاملہ نہیں آیا ہے۔ ڈیولپمنٹ کا بولتے ہیں، سوشیو اکانامک بولتے ہیں، ہماری گورنمنٹ پابند ہے، قانون بنائے ہیں لاگو نہیں کرتے ہیں، جب کوئی قانون بنتا ہے، لاگو نہیں ہوتا ہے چاہے وہ نکسلواد کے نام پر آئے، چاہے دوسرے اگرواد کے نام پر آئے۔ جب لوگ تنگ سے آسمقا اٹھ جاتی ہے تبھی ایک نوجوان دوسرے راستے پر جاتا ہے۔ اگر پشچم بنگال میں لینڈ ریفارمس کر کے پنچایتی راج کو جڑ سے پکڑ کر اس کے بعد سوشیو اکانامک ڈیولپمنٹ جو بتایا ہے۔ ں، جنگل اور زمین۔ جس میں جنتا کے بنیادی حق ہیں، پچھڑے ہوئے لوگوں کے، غریب لوگوں کے حق ہیں، ان سے اگر آپ انھیں محروم کریں گے تو ظاہر بات ہے کہ وہ کسی نہ کسی اگرواد کے راستے پر جائیں گے۔ لینڈ ریفارمس کے بارے میں آپ کی سرکار کا کیا دھیان ہے؟ یہ بنیادی سوال ہے۔ آپ اسٹیٹ گورنمنٹ کی طرف سے ایکشن پلان

اکانامک ڈیولپمنٹ کے سوال کو بھی جوڑنا پڑیگا۔ جو ڈیٹیلس انھوں نے ایک، دو، تین، چار کر کے دیے ہیں، اس میں ان کا فوکس کیا ہے، وہ پتہ چلتا ہے۔ سپلیمنٹری کے جواب میں بھی انھوں نے یہ کہا کہ زیادہ سنسیٹیو ایشوز، کمیونی کیشن لنکس، ماڈرنائزیشن آف دی پولیس فورس، اس سے جو چنتا ہے، جو بھاونا ہے اس کا پتہ چلتا ہے۔ یہ آپ کے لئے نیا نہیں ہے۔ اس سدن میں اس سے پہلے بھی ہم لوگ بات کر چکے ہیں۔ پچھلی سرکار جب آئی تھی، اس نے بھی اسی مارچ کا ایکشن پلان بنا کر دی سرکار کی ہوم منسٹری کو دیا تھا کہ سنسیٹیو کمیونی کیشن لنکس، اچھی گاڑی چاہئے، اچھی جیپ چاہئے۔ لیکن اگر آپ روٹ میں نہیں جائیں گے تو اس سے سوال نپٹنے والا نہیں ہے۔ میرا سوال ہے کہ کیا آپ نے پشچم بنگال میں ... جیسے کئی دوسرے معاملوں میں پچھمی بنگال کی طرف اپنا دھیان ڈالتے ہیں تو نکسلواد کی جہاں سے شروعات ہوئی، نکسلواد نام آیا ہے، نکسل موومنٹ کا نام آیا ہے، نکسلواد سے، بنگال سے، وہ افیکٹڈ ایریا تھا، لیکن وہاں اس معاملے کو نپٹانے میں ہارڈ شپ تک، پورب سے پشچم تک یہ معاملہ چلا جا رہا ہے اور آپ راجیہ سرکاروں کو لیکر

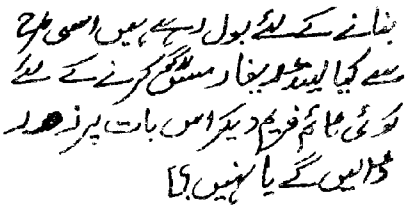

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: जो योजना आन्ध्र प्रदेश ने दी है और जो योजना मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र बना रहे हैं, उसमें दोनों कंपोनेंट्स हैं और मुख्य रूप से क्योंकि विकास का कार्य लैंड रिफार्म्स का कार्य प्रदेशों को करना है इसलिए स्वाभाविक रूप से हम उन्हीं से अपेक्षा करते हैं यह बात सही है कि गृह मंत्रालय से उनकी जितनी वार्ता होती है उसमें उनका बल इस बात पर होता है कि हमारे यहां की पुलिस - उसको माडर्नाइज़ करने के लिए आप इस तरह की सहायता दीजिए...

इसलिए मैंने उसका जिक्र किया। उसका अर्थ यह नहीं है कि हम इन प्रश्नों को कम महत्वपूर्ण मानते हैं। लेकिन स्वाभाविक रूप से वह जब हमसे बात करते हैं और प्लानिंग कमीशन से मांगते हैं कि हमको लैंड रिफार्म करना हैं, हमको इतने पैसे चाहिए, हमको यह काम करना है, हमको सड़कें बनानी हैं, इन्टर रोड कम्युनिकेशन डेवलप करना है इसलिए हमको पैसा चाहिए, वे हमसे बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से पुलिस पर फोकस होता है। इसलिए मैंने उसका जिक्र किया अन्यथा मैंने आरम्भ में ही कहा कि इस प्रश्न को जब तक हम व्यापक रूप से और सर्वांगीण रूप से नहीं देखेंगे तब तक समस्या का हल नहीं कर सकेंगे।

श्री जगन्नाथ मिश्र: सभापति महोदय, जैसा कि आप जानते है, सभी सदस्य जानते हैं कि बिहार सबसे अधिक नक्सलवाद से प्रभावित राज्य है। वहां की सरकार की शिकायत है कि केन्द्रीय सरकार से अर्द्धसैनिक बल की जितनी मांग की जाती है उसकी आपूर्ति नहीं की जाती है। दूसरी बात यह है कि वहां पर उग्रवादी संगठन या उग्रवादी लोग जिस तरह से आधुनिकतम शस्त्रों से सुसज्जित हैं उस अनुपात में बिहार की पुलिस सुसज्जित नहीं है इसलिए वह उनका मुकाबला नहीं कर पा रही है। साथ-साथ जैसा मंत्री जी ने स्वयं कहा कि सामाजिक समस्याओं के साथ यह मामला संबंधित है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि बिहार सरकार की शिकायत को दूर करने के लिए केन्द्रीय सरकार क्या कदम उठा रही है? दूसरी बात यह है कि सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन के कानूनों का प्रभावकारी ढंग से कार्यान्वयन नहीं हो रहा है। क्या केन्द्रीय सरकार कोई प्रयत्न करेगी कि सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन से जो परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, उनसे संबंधित समस्याओं का समाधान केन्द्र के निर्देशन में तत्काल किया जाये?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: माननीय सदस्य ने जो बाते कही हैं वह सही है और हम चाहेंगे कि प्रदेश की सरकार इस दिशा में मजबूती के साथ कदम उठाये। केन्द्र सरकार इस मामले में सब प्रकार की सहायता करने को तत्पर रहेगी। हम उन्हें इस दिशा में प्रेरित भी करेंगे और आग्रह और बलपूर्वक कहेंगे कि ये सारी बातें करनी चाहिएं।

श्री गोविंदराव आदिक: धन्यवाद सभापति महोदय। जहां तक नक्सलवाद का सवाल है यह महाराष्ट्र से भी जुड़ा हुआ है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि जो भी उपाय महाराष्ट्र में किए गए उसका कोई असर अभी तक नहीं हुआ है। बात तो यहां तक पहुंच गई है कि मुम्बई और महाराष्ट्र में जिस तरह से हत्याएं हो रही हैं, जिस तरह से हमले हो रहे हैं ...(**व्यवधान**)...

श्री नरेन्द्र मोहन: क्या दक्षिणपंथी उग्रवाद है? ...(**व्यवधान**)...

श्री गोविंद राव आदिक: जिस तरह से सभापति महोदय, हमले हो रहे हैं, यहां तक कि मंत्रियों के घरों पर हमले हो रहे हैं ...(**व्यवधान**)... जिस तरह से मंत्रियों के ..(**व्यवधान**)...

SHRI RAJUBHAI A. PARMAR : Let the Chairman handle the situation.

श्री संजय निरूपम: ये क्या सवाल पूछ रहे हैं? ...(**व्यवधान**)... यह अलग विषय पूछ रहे हैं। ..(**व्यवधान**)...

श्री गोविंद राव आदिक: सभापति महोदय, मैं प्रश्न पूछ रहा हूं ...(**व्यवधान**)... महाराष्ट्र में तो मंत्रियों के घर पर हमले हो रहे है और जहां ...(**व्यवधान**)...

श्री नरेन्द्र मोहन: विषय तो उग्रवाद का है। ...(**व्यवधान**)...

SHRI V.P. DURAISAMY: Sir, they have not right to interfere with the Member when he is asking questions. (*interruptions*)

AN HON. MEMBER: Let the Chairman decide that.

MR. CHAIRMAN: Please confine yourself to the question.

SHRI GOVINDRAO ADIK: Yes. I am coming to that.

मेरा प्रश्न था कि जो मंत्रियों के घर पर हमले हो रहे हैं क्या इसमें भी नक्सलवाद का संबंध है या नहीं है? हो सकता है कि नक्सलवाद मुम्बई में पहुंचा है शिव सेना के माध्यम से, उनके ही मंत्रियों पर हमले हो रहे हैं। अगर यह बात सही है तो उसके लिए केन्द्र सरकार.... (व्यवधान).... सभापति महोदय, उसके लिए केन्द्र सरकार ...(व्यवधान)...

SHRI ADHIK SHIRODKAR: How dare you talk about it? ...(*interruptions*)...

श्री गोविंदराव आदिक: मैं सवाल पूछ रहा हूं। I am confining myself to the subject, Sir.

MR. CHAIRMAN: Now you have completed it. ....(*interrupitons*)... You have completed the question.

SHRI GOVINDRAO ADIK: No, Sir. I am just asking the question.

MR. CHAIRMAN: Nothing more. You have done it. Mr. Advani.

SHRI GOVINDRAO ADIK: Sir, there was a confusion.

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: सभापति जी, महाराष्ट्र एक ऐसा प्रदेश है जिसमें नक्सलवाद की समस्या तीन जिलों तक सीमित है और वह है गढ़चिरौली, चन्द्रपुरी और भंडारा इन तीन जिलों में अभी पिछले साल. ...(व्यवधान)...

श्री मोहम्मद सलीम: बाकी जिलों में क्या उग्रवाद नहीं है? ...(व्यवधान)...पिछले साल मैं मानता हूं। ...(व्यवधान)...

†श्री محمد سلیم: باقی ضلعوں میں کیا اگرواد نہیں ہے ... مداخلت*: ...

श्री गोविंदराव आदिक: ....(व्यवधान)...

श्री सतीश प्रधान: महोदय, ...(व्यवधान)...

श्री संजय निरूपम: इस वर्ड को एक्सपंज किया जाए।....(व्यवधान)...

श्री सभापति: मंत्री जी को बोलने दिया जाए।...(व्यवधान)...।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मैं समझता हूं कि प्रदेश की सरकार नक्सलवाद की समस्या के साथ प्रभावी रूप से संघर्ष कर रही है। पिछले वर्षभर में नक्सलवादियों द्वारा 9 हत्याएं हुई थीं। इस बार मई के महीने तक दो हत्याएं हुई हैं, इतनी जानकारी है।

डॉ० वाई० लक्ष्मी प्रसाद: सर, नक्सलवादियों से निपटने में और इनके क्रियाकलापों को रोकने में आन्ध्रप्रदेश अग्रणी स्थान पर है, स्वयं आदरणीय गृह मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह बताया है। इस संदर्भ में आदरणीय गृह मंत्री जी से जानना चाहता हूं:

Sir, the total expenditure incurred by the Government of Andhra Pradesh for the last five years on its own forces to comabat the extremist menace is approximately Rs. 380 crores. As stated earlier, the extremist problem is to be treated as a problem of national security like it was done in Punjab, Jammu and Kashmir and North east. The expenditure, therefore, incurred towards the deployment of CPMF may be written off as was done in the case of Punjab and Jammu and Kashmir by the Government of India. The expenditure of Rs. 380 crores incurred by the State Government to combat the extremist menace may be reimbursed to the Government of Andhra Pradesh on the pattern of Punjab. Sir, our Chief Minister also met the hon. Home Minister in April 1998. I would like to know what decision has been taken by the Government on the request of the Chief Minister of Andhra Pradesh.

SHRI L.K. ADVANI: Sir, normally, law and order being a State subject, all expenditure incurred on law and order is the responsibility of the State. But in recent years, certain situations have developed which made the Government of India to decide that security related expenditure in Jammu and Kashmir and security related expenditure in Punjab, would be borne by the Central Government. Naturally, wherever there are problems of this nature, militancy or

†[ ]Transilteration in Arabic Script

*Expunged as ordered by the chair.

Naxalite violence or violence inspired by foreign agencies, a similar demand is being made by States including the States affected by Naxalite violence. The present Government is considering the matter and would like to take a decision not on an *ad hoc* basis. While it accepts that the problems which arise from issues of national security are a matter of concern and responsibility of the Centre, it would lay down precise guidelines as to what kind of security related expenditure can be borne by the States. Very soon, this matter would be discussed by the Cabinet and a decision would be taken.

प्रो॰ रामगोपाल यादव: श्रीमन्, जब नक्सलवादियों से यह आन्दोलन शुरू हुआ था और जिनका समाज में सम्मान भी था, केवल उनकी कार्यशैली में हिंसा ही निन्दनीय थी। लेकिन इसके बाद जैसे-जैसे ये बढ़ता गया तो लैफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के नाम पर तमाम अपराधी संगठन भी कई राज्यों में अस्तित्व में आ गए जिन्होंने घटिया स्तर पर काम करने शुरू कर दिये। मैं माननीय गृह मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या लैफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के अलावा जो और तरह के संगठन हैं, चाहे बिहार में हों, चाहे महाराष्ट्र में हों और चाहे आन्ध्र में हों क्या इनमें डिक्रिमिनेशन किया है? और किया है तो अन्य संगठन जिनको किसी हालत में लैफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म नहीं कहा जा सकता, उनके क्या-क्या नाम है?

श्री लाल कृष्ण आडवानी: सभापति जी, किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है लेकिन यह भी सही है कि जब भी इस प्रकार की स्थिति पैदा होती है तो वह मामला लैफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से संबंधित नहीं होता है। हम जिनको जम्मू-कश्मीर में मिलीटेन्सी कहते हैं, पंजाब में मिलीटेन्सी कहते हैं, जहां पर भी हिंसा का बोलबाला होता है वहां पर अनेक प्रकार के अपराधी तत्व इस प्रकार के आंदोलनों में घुस जाते हैं, क्योंकि उनको अपनी स्वार्थशैली के लिए एक वातावरण मिल जाता है, एक रिस्पैक्टिबिलीटी मिल जाती है। सरकार और राजनीतिक दलों को, राजनीतिक नेतृत्व को इसके बारे में सावधान रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। सरकार की ओर से मैं कह सकता हूं कि हमारी सरकार इसके बारे में सावधान है, सतर्क है और अपराधी अपराधी है।

श्री लाल कृष्ण आडवानी: उसको कोई आवरण देने से उसके अपराध को कम नहीं माना जा सकता है। इसलिए हिंसा के मार्ग से जो कोई परिवर्तन करना चाहता है उसको हम अनुमति नहीं देंगे।

MR. CHAIRMAN: Now we shall take up the next question... *(Interruptions)*

SHRI ADHIK SHIRODKAR: Sir, before we move on to the next question, I would request you to expunge the remarks made by Mr. Govindrao Adik...*(Interruptions)* It has no relevance to Naxalites...*(Interruptions)* The hon. Member has made a reference that somebody heads an institution which inducts notorious gangsters to come to power...*(Interruptions)* Is this the way he should talk? *(Interruptions)* This should be expunged... *(Interruptions)*

MR. CHAIRMAN: I will see the record.

महाराष्ट्र में ग्रामीण रोजगार और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

***503. श्री सूर्यभान पाटील वहाडणे:** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र राज्य में ग्रामीण रोजगार और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अधीन कितनी योजनाएं काम कर रही हैं;

(ख) वर्ष 1997-98 तथा 1998-99 के दौरान प्रत्येक योजना हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी धनराशि उपलब्ध करायी गयी है;

(ग) इस संबंध में जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस संबंध में आदिवासी जिलों में कोई विशेष सुविधा दी गई है;

(ङ) यदि हां, तो महाराष्ट्र के संदर्भ में इस संबंध में जिला-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री बाबागौड़ा): (क) से (च) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।